

## प्रेस नोट दिनांक-11.12.2025

### ऑपरेशन कन्विक्शन

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा० न्यायाधीश श्री पारितोष श्रेष्ठ (एडीजे/एफटीसी-1 जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्ता को 02 वर्ष का कारावास की सजा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

### जनपद चन्दौली थाना अलीनगर के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 12.05.2020 को धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रम्भा देवी पत्नी स्व० सुग्रीव राम निवासी जलालपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 84/2020 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया।

आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर (IPS) के पर्यवेक्षण में मानिट्रिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, अवधेश कुमार पाण्डेय(एडीजीसी) व थाना अलीनगर के पैरोकार का० संजीत की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 11.12.2025 को मा० न्यायाधीश श्री पारितोष श्रेष्ठ (एडीजे/एफटीसी-1 जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्ता 1.रम्भा देवी पत्नी स्व० सुग्रीव राम निवासी जलालपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को 02 वर्ष का कारावास की सजा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।